

फर्द अहकाम

कालू बनाम धाकी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 51/2023

(ली. डाई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी 3 व 4 प्रतिवादी प्रार्थी सं. 1 व 2 जत पेशियां में अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.5.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर मुख्यालय-जयपुर	
20/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में ही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ट्रेकिंग रिपोर्ट मच रसीड पेश की। पत्रावली वास्तु उचित कौरेर हेतु दिनांक 23/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर मुख्यालय-जयपुर	
23/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वहस प्रा. प्रा. ली. डाई. पर सुनी गवर्न। अप्रार्थी गप के विरुद्ध एक तटस्थ कार्यवाही के अद्वेष पूर्व में जारी है। अप्रार्थी गप की ओर से वाद व प्रा. प्रा. ली. डाई. के संयत में किसी प्रकार की कोई उभे आपत्ति कथवा मान्य खंडन का प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद बहुलता व न्यायित के दृष्टिगत प्रा. प्रा. स्वीकार चिन्ता जाकर वादगस्त मूनि के	



फर्द अहकाम

कोल बनाम द्यारी

नाम न्यायालय सहायक कमिश्नर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 51/2023

(सी. भाई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/5/24	<p>संदर्भ में पूर्व अंतरिम आस्थापित विधुदाया आदेश दिनांक 04.09.23 को तात्काली मूलवाद स्थान दिया जाता है, जिसके अनुसार आज्ञागत वाद इकाई नूनि आ. सं. नं. 357, 358, 359 कुल (काल किता 3 कुल एकवा 1.34 ए. वरि गुण द्वारा तट. भाई. जिला जयपुर को मोका व रिकार्ड की उपस्थिति काफिल रखने मिर्जाय आज्ञा दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पगावली कुल शुभा हाफ/दर नंबर से कम है। काद नकली शक्ति दस्ता है।</p> <p>सहायक कमिश्नर (फास्ट ट्रैक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</p>